राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक प.2(1401)सूप्रौ/संस्था/13/पार्ट–5/03653/2021 जयपुर, दिनांकः 30.09.2021

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक प.2(1401)सूप्रौ/संस्था/13/पार्ट–5/02831/2021 दिनांक 13.08.2021 के द्वारा श्री भगवान दास, सहायक प्रोग्रामर का स्थानान्तरण/पदस्थापन कार्यालय–सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति–करणपुर, श्रीगंगानगर से सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, नगरपालिका–छापर चूरू में रिक्त पद पर (प्रोग्रामर पद के विरुद्ध स्वयं की वेतन श्रृंखला में) किया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 11368/2021 में पारित आदेश दिनांक 27.08.2021 के द्वारा श्री भगवान दास के स्थानांतरण आदेश दिनांक 13.08.2021 के प्रभाव एवं क्रियान्वयन पर रोक लगाई गई है। माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में श्री भगवान दास अपने पूर्व पदस्थापित कार्यालय यथा सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति–करणपुर, श्रीगंगानगर में यथावत कार्यरत रहेंगे।

श्री सुशील कुमार सिघंल, सहायक प्रोग्रामर का स्थानान्तरण सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति–करणपुर, श्रीगंगानगर से सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति–मेडता, नागौर (रिक्त पद पर, प्रोग्रामर के पद के विरूद्ध स्वयं की वेतन श्रृंखला में) किया जाता है।

उपरोक्त आदेश की पालना में श्री सुशील कुमार सिंघल, सहायक प्रोग्रामर अपने नवपदस्थापन कार्यालय में उपस्थिति देवें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

नोटः–नियमानुसार यात्रा भत्ता/योगकाल देय होगा।

आज्ञा से,

(सुनील छाबडा)
तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय (प्रभारी मंत्री महोदय, सू.प्रौ. और संचार विभाग) राजस्थान, जयपुर।
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
3 कार्यालयाध्यक्ष/ प्रभारी अधिकारी संस्थापन, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
4 संबंधित विभागाध्यक्ष /कार्यालयाध्यक्ष..।
5 प्रभारी अधिकारी (वेबसाईट), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
6 प्रभारी अधिकारी विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.) एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)/लीगल सैल, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
7 संबंधित कर्मचारियों को प्रेषित कर लेख है कि तुरन्त प्रभाव से नव पदस्थापन विभाग में कार्यग्रहण कर इस विभाग को सूचित करें साथ ही कार्यग्रहण रिपोर्ट oic.estt@rajasthan.gov.in पर ई–मेल करें।
8 निजी/रक्षित पत्रावली।

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव